रजिस्टर्ड नं0 HP / 13 / SML - 2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 29 सितम्बर, 2007 / 7 आश्विन, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 28 सितम्बर, 2007

संख्या : एल0 एल0 आर0–डी0(6)–15 / 2007–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26–09–2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 13 को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(जे0 एन0 बारोवालिया)
प्रधान सचिव (विधि)।

2007 का अधिनियम संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2007

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2007 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम,1971 (1971 का 22) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2007 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उप–खण्ड (i) में, "सुधार न्यास" शब्दों के पश्चात् "या हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत वक्फ सम्पत्तियां" शब्द जोड़े जाएंगे। 1971 का 22

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 18 of 2007

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND RENT RECOVERY) AMENDMENT ACT, 2007

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH SEPTEMBER, 2007)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 (Act No. 22 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty–eighth Year of Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Act, 2007.

Amendment of section 2.

22 of 1971

2. In the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, in section 2, in clause (e), in sub-clause (i), after the words "improvement trust", the words "or a Wakf property registered with the Himachal Pradesh Wakf Board" shall be added.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 28 सितम्बर, 2007

संख्या : एल0 एल0 आर0–डी0(6)–13 / 2007–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26–09–2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में सविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(जे0 एन0 बारोवालिया),
प्रधान सचिव (विधि)।

2007 का अधिनियम संख्यांक 19.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2007

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2007 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

धारा 46 का संशोधन।

1994 का 12

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 46 की विद्यमान उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(3) निगम को सभी विधिक मामलों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक विधि सलाहकार एवं विधि अधिकारी होगा जिसे ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाएं, निगम द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"।

धारा 84 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (1) के विद्यमान खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा।

धारा 161 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (3) में, "निदेशक के नियन्त्रणाधीन" चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 243 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 243 की उपधारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु ऐसा प्रत्येक रेखांक और विनिर्देश निगम के साथ रजिस्ट्रीकृत अर्हता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर या वास्तुविद् या योजनाकार या कनिष्ठ अभियन्ता या ड्राफ्टसमैन द्वारा, ऐसी फीस के संदाय पर जो निगम द्वारा समय–समय पर नियत की जाए, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।"।

धारा 251 का लोप।

6. मूल अधिनियम की धारा 251 का लोप किया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 19 of 2007

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2007

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH SEPTEMBER, 2007)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty–eighth Year of Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2007. Short title.

12 of 1994

2. In the Himachal Pradesh Municipal Corporatoin Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in section 46, for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:— Amendment of section 46.

"(3) There shall be a Legal Advisor-cum-Law Officer to aid and advice the Corporation in all legal matters, to be appointed by the Corporation on such terms and conditions as may be prescribed.".

3. In section 84 of the principal Act, in sub-section(1), the existing clause (c), shall be deleted. Amendment of section 84.

4. In section 161 of the principal Act, in sub-section (3), the sign and words, ",under the control of the Director" shall be deleted. Amendment of section 161.

5. In section 243 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:— Amendment of section 243.

"Provided that every such plan and specifications shall be duly signed by a qualified Structural Engineer or Architect or Planner or Junior Engineer or Draughtsman registered with the Corporation, on payment of such fee as may be fixed by the Corporation, from time to time.".

Deletion of section 251.

6. Section 251 of the principal Act, shall be deleted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 28 सितम्बर, 2007

संख्या : एल0 एल0 आर0–डी0(6)–16 / 2007–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26–09–2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 12) को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(जे0 एन0 बारोवालिया),
प्रधान सचिव (विधि)।

2007 का अधिनियम संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) अधिनियम, 2007

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2007 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 (2001 का 19) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम। **1.** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) अधिनियम, 2007 है ।

धारा 3 का संशोधन। **2.** हिमाचल प्रदेश माता–पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 की धारा 3 की उपधारा (1) में, ''जिसकी आय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए अधिकथित स्तर से नीचे है तथा" चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा। 2001 का 19

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 21 of 2007

THE HIMACHAL PRADESH MAINTENANCE OF PARENTS AND DEPENDANTS (AMENDMENT) ACT, 2007

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH SEPTEMBER, 2007)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001 (Act No. 19 of 2001).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants (Amendment) Act, 2007.

Amendment of section 3.

19 of 2001

2. In the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001, in section 3, in sub-section (1), the words "having income below the level laid down for persons living below the poverty line and" shall be deleted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 28 सितम्बर, 2007

संख्या : एल0 एल0 आर0–डी0(6)–14 / 2007–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26–09–2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 15) को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 20 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(जे0 एन0 बारोवालिया),
प्रधान सचिव (विधि)।

2007 का अधिनियम संख्यांक 20

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2007

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2007 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

धारा 3 का संशोधन।

1994 का 13

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की विद्यमान उपधारा (1) के खण्ड (ii) में शब्द "बीस" के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा।

धारा 65 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 65 के विद्यमान खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा।

धारा 203 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु ऐसा प्रत्येक रेखांक और विनिर्देश नगरपालिका के साथ रजिस्ट्रीकृत अर्हता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर या वास्तुविद् या योजनाकार या कनिष्ठ अभियन्ता या ड्राफ्टसमैन द्वारा, ऐसी फीस के संदाय पर जो नगरपालिका द्वारा नियत की जाए, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।"।

धारा 210 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 210 की विद्यमान उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

धारा 255 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (1) में, "निदेशक के नियन्त्रणाधीन'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 20 of 2007

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2007

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH SEPTEMBER, 2007)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty–eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2007.

Amendment of section 3.

2. In the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in section 3, in sub-section (1), in clause (ii), for the word "twenty", the word "ten" shall be substituted. 13 of 1994

Amendment of section 65.

3. In section 65 of the principal Act, the existing clause (b) shall be deleted.

Amendment of section 203.

4. In section 203 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (b), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that every such plan and specification shall be duly signed by a qualified Structural Engineer or Architect or Planner or Junior Engineer or Draughtsman who is registered with the municipality, on payment of such fee as may be fixed by the municipality." .

Amendment of section 210.

5. In section 210 of the principal Act, the existing sub-section (3) shall be deleted.

Amendment of section 255.

6. In section 255 of the principal Act, in sub-section(1), the words "under the control of the Director" shall be deleted.

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित